उत्तर प्रदेश सरकार

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2

संख्या-क0नि0-2-42/ग्यारह-9(1)/2008-उ0प्र0अधि0-5-2008-आदेश-(108)-2014

दिनांकः 10 जनवरी, 2014

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश मूल्य सवंर्धित कर अधिनियम, 2008 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5, सन् 2008) की धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल, उक्त अधिनियम की अनुसूची-दो एवं अनुसूची-चार में दिनांक 11 जनवरी, 2014 से निम्नलिखित संशोधन करते हैं:-

संशोधन

(क) उक्त अनुसूची-दो में, भाग-क में,-

(एक) क्रम संख्या 33 की प्रविष्टि में, शब्द " **हरी चाय की पत्ती एवं** " विलोपित कर दिये जायेंगे।

(दो) क्रम संख्या 122 की प्रविष्टि में, शब्द "चाय" के स्थान पर शब्द "**सभी प्रकार की चाय जैसे सफेद, पीली, हरी, उलून्ग (अथवा वूलून्ग), काली, लाल, पोस्ट फर्मेन्टेड चाय इत्यादि या पत्तियों से प्रसंस्कृत अथवा तैयार की गयी अन्य किसी रूप में चाय**" रख दिये जायेंगे।

(ख) उक्त अनुसूची-चार में, क्रम संख्या 14 की प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियॉ स्तम्भवार रख दी जायेंगी, अर्थात्:-

क्रम संख्या	वस्तु का नाम एवं विवरण	कर का बिन्दु	कर की दर
1	2	3	4
15 (क)	**सभी प्रकार के लुब्रीकैन्ट्स** जब पंजीकृत व्यापारी की औद्योगिक इकाई को गैर वैट माल से भिन्न करयोग्य माल के निर्माण प्रक्रिया में प्रयोग के लिये कमिश्नर द्वारा निर्धारित प्रमाण-पत्र के विरूद्ध बिक्री किया जाय।	नि0 अथवा आ0	5%
15 (ख)	**सभी प्रकार के लुब्रीकैन्ट्स** क्रम संख्या 15 (क) में वर्णित मामलों के अतिरिक्त।	नि0 अथवा आ0	21%

आज्ञा से,

(बीरेश कुमार)
प्रमुख सचिव।